न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–139 सन् 2019

पानपति देवी....................वादी।

बनाम

सोनेलाल पासवान वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 27.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 ‘2’ वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 02.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 01 ‘ग’ राजदेव पासवान की मृत्यु दिनांक 14.11.2022 को हो गई है। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु वादपत्र से वादी राजदेव पासवान का नाम कलमजद करना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर वादपत्र के वादी के खाने में राजदेव पासवान का नाम कलमजद करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 ‘ग’ राजदेव पासवान थे जिनकी मृत्यु दिनांक 14.11.2022 को हो गई है। वादी आवेदन दाखिल कर वादी राजदेव पासवान का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है जो शपथ पत्र के साथ समर्थित है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 02.02.2023 को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।